न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—03 / 20 (2020 / 00019) वाद पत्र

उनवान

1—सोनु पुत्री पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कन्हैयालाल आत्मज पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रमेशचन्द्र आत्मज पारस नायक नाबाब जरिये सरंक्षक माता कालीदेवी पत्नि पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—पारस आत्मज घीसु नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—16.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 71 में अकिंत आराजियात संख्या 1102 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 1103 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 1104 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1105 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1106 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि स्थित होकर वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घीसु आत्मज जड़ाव नायक के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त कृषि आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी व मौरूषी है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण एवं हमारी माता से आये दिन लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करता रहता है तथा वादीगण को हमारे जायज हक व अधिकार वछिंत करने की नियत से उक्त वादग्रस्त आराजियात को तन्हा रूप से नामान्तरण अपने नाम पर खुलवा कर उसे खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र व पुत्री है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्री होकर प्रथम श्रैणी के वारीस है जिससे वादीगण अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 निहित है एवं वादीगण व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु भूमियो का विभाजन नही हुआ है। वादीगण उक्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात में अपने निहित 3/4 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अकिंत आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 जो ग्राम बागोलिया के राजस्व खाता संख्या 71 में दर्ज है के 3/4 हिस्से के वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात का नामान्तरकरण तन्हा रूप से अपने नाम पर नही खुलवावे तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादीगण को उनके जायज हक हिस्से भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 11.08.2020 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फॉरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाही गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पैतृक मौरूषी कृषि भूमियों में जन्म से ही विधिक वारीसान का हक व हिस्सा निहित होता है उक्त प्रकरण में भी पैतृक व मौरूषी कृषि भूमियों में वादीगण द्वारा अपना निहित हक व हिस्सा मांगा गया है जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को बल मिलता है। प्रतिवादी संख्या 1 को न्यायालय द्वारा समन जारी करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नही होने से यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 वास्तव में वादीगण को अपने हक व हिस्से से महरूम करना चाहता है या वादीगण को वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है। उक्त प्रकरण में वादीगण उनके जायज हक व हिस्से की कृषि भूमि अपने नाम कराने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 71 में अकिंत आराजियात संख्या 1102 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 1103 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 1104 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1105 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1106 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

16.07.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–03/20 (2020/00019) वाद पत्र

उनवान

1–सोनु पुत्री पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कन्हैयालाल आत्मज पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रमेशचन्द्र आत्मज पारस नायक नाबाब जरिये सरंक्षक माता कालीदेवी पत्नि पारस नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–पारस आत्मज घीसु नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 71 में अकिंत आराजियात संख्या 1102 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 1103 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 1104 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1105 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1106 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 16.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

16.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested